

पत्र संख्या : 3/PMC/कार्य/325/2019

89

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 19/08/19

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2018–19 में घोषित सुखाड़ के आलोक में मुख्य शीर्ष 2245 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के सूखाग्रस्त घोषित 18 जिलों के 129 प्रखण्डों में MI Scheme के जीर्णोद्धार (Renovation) हेतु अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को राज्य आपदा मोर्चन निधि (SDRF) से (DDO Code-DRNWAT001) में प्राप्त कुल 2,32,50,000/- (दो करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) रूपये मात्र में से रु. 72.00 लाख (बहतर लाख) राशि को उपावंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :—

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, सरकार का स्वीकृत्यादेश संख्या-34(रखी.) दिनांक 31.05.2019 एवं आवंटनादेश संख्या-12(आ.), दिनांक-31.05.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	39—गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत/01—सुखा	101—आनुग्रहिक राहत/06—अन्य कार्य	07—अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय, विपत्र कोड—39S224501101060759	72.00

आवंटित राशि — ₹ बहतर लाख मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा :— (राशि लाख रु. में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	आवंटित राशि	On-line Allotment Access No
1	2	3	4	5	6	
1.	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)	पलामू	चैनपुर	तेलियाही आहर का जीर्णोद्धार	1.500	52595
2.		पलामू	चैनपुर	बढ़का आहर का जीर्णोद्धार	1.500	
3.		पलामू	चैनपुर	वैरीसाल आहर का जीर्णोद्धार	1.500	
				योग	4.500	
4.	लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा (GRHMIR001)	गढ़वा	रंका	शिव नाला वीयर एवं नहर का जीर्णोद्धार	1.500	52596
5.		गढ़वा	डंडई	पोखरिया वियर एवं केनाल का जीर्णो	1.500	
6.		गढ़वा	भंडरिया	वनखेता मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	1.500	
7.		गढ़वा	खोरंधी	सिसरी वियर का जीर्णो	1.500	
				योग	6.000	
8.	लघु सिंचाई प्रमंडल, कोडरमा (KDMMIR01)	कोडरमा	चैदवारा	कुन्दीलवा तालाब का जीर्णोद्धार	1.500	52597
				योग	1.500	

2/1

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

N

9.	लघु सिंचाई प्रमंडल, चतरा (CTRMIR001)	चतरा	पथलगढ़ा	ललकी माटी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	52598
				योग	1.500	
10.	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर देवघर (DGRMIR001)	देवघर	मोहनपुर	गंजोरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	52599
				योग	1.500	
11.	लघु सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा (JMTMIR022)	जामताड़ा	फतेहपुर	ग्राम—मकरणडा में मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	52600
12.		जामताड़ा	फतेहपुर	ग्राम—चरकमारा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
13.		जामताड़ा	करमाटांड	केन्दुआटांड मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
14.		जामताड़ा	करमाटांड	जियालजोरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
15.		जामताड़ा	नारायणपुर	जगदीशपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
16.		जामताड़ा	नारायणपुर	बैजनाथपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
17.		जामताड़ा	नारायणपुर	मण्डरो मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
18.		जामताड़ा	नारायणपुर	फतेहपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
19.		जामताड़ा	फतेहपुर	बागमारा—।। मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
				योग	13.500	
20.	लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज (SBJMIR001)	साहेबगंज	बोरियों	गडगामा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	52601
21.		साहेबगंज	उद्धवा	वाङ्गी केन्द्र मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
22.		साहेबगंज	पतना	परोवेडा वथानी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
23.		साहेबगंज	उद्धवा	पतौड़ा झील से सुतियारपाड़ा ग्राम तक नाला का जीर्णो	1.500	
24.		साहेबगंज	राजमहल	ग्राम—चंडीपुर मोकिमपुर भोलसारी तालाब का जीर्णो	1.500	
25.		साहेबगंज	तालझारी	दूध कोल मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
26.		साहेबगंज	पतना	विजयपुर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	
				योग	10.500	
27.	लघु सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ (PKRMIR001)	पाकुड़	महेशपुर	कसा सरकारी तालाब मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णद्वार	1.500	52602
				योग	1.500	
28.	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोड़डा (GDDMIR014)	गोड़डा	पत्थरगामा	खैरबनी तालाब का जीर्णद्वार	1.500	52603
29.		गोड़डा	गोड़डा	ओझा बांध का जीर्णद्वार	1.500	
30.		गोड़डा	पोड़ेयाहाट	नीमा बांध का जीर्णद्वार	1.500	
31.		गोड़डा	पोड़ेयाहाट	दुमरिया बांध का जीर्णद्वार	1.500	
32.		गोड़डा	पत्थरगामा	वरगामा बांध सरकारी तालाब का जीर्णद्वार	1.500	
33.		गोड़डा	महगामा	दुर्गा मंदिर पोखर का जीर्णद्वार	1.500	
34.		गोड़डा	सुन्दरपहाड़ी	करमाटांड ग्राम में साहेब बांध का जीर्णद्वार	1.500	
35.		गोड़डा	पोड़ेयाहाट	बुढ़वा बांध सरकारी तालाब का जीर्णद्वार	1.500	
36.		गोड़डा	मेहरमा	मंगर टैंक का जीर्णद्वार	1.500	
37.		गोड़डा	मेहरमा	बिंदी पोखर का जीर्णद्वार	1.500	
38.		गोड़डा	मेहरमा	सिंग राहा पोखर का जीर्णद्वार	1.500	
				योग	16.500	

2/2
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

Q
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

✓

39.	लघु सिंचाई प्रमंडल, गिरिडीह (GRDMIR001)	गिरिडीह	झुमरी	बेलमा आहर बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	1.500	52604
40.		गिरिडीह	झुमरी	भाग बांध मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	1.500	
41.		गिरिडीह	सरिया	पावापुर डेम एवं नहर का जीर्णोद्धार	1.500	
42.		गिरिडीह	सरिया	बगरो डेम एवं नहर का जीर्णोद्धार	1.500	
43.		गिरिडीह	सरिया	शिमदिर नौका आहर का जीर्णोद्धार	1.500	
44.		गिरिडीह	पिरटॉड	पिरटांड आहर का जीर्णोद्धार	1.500	
45.		गिरिडीह	पिरटॉड	बाधमारा आहर का जीर्णोद्धार	1.500	
				योग	10.500	
46.	लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKMIR001)	दुमका	काठीकुण्ड	मंडिला सर्वापानी बांध का जीर्णोद्धार	1.500	52605
47.		दुमका	सरैयाहाट	महिला बांध का जीर्णो	1.500	
48.		दुमका	सरैयाहाट	पुरनिया बांध का जीर्णो	1.500	
				योग	4.500	
				योग	72.00	

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तों वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक—19.09.16 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, सरकार का स्वीकृत्यादेश संख्या—34(स्वी.) दिनांक 31.05.2019 एवं आवंटनादेश संख्या—12(आ.), दिनांक—31.05.2019 में निहित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय नहीं किया जाय। साथ ही, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रासंगाधीन भुगतान राज्य आपदा मोर्चन निधि मद एवं मापदण्ड में निर्धारित मानकों के अनुरूप तथा उन्हीं मदों में किया जाय, जिसके लिये राशि आवंटित की जा रही है।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग—1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. उपर्युक्त कंडिका-2 के स्तंभ-6 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु०— गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, सरकार का स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश।



 (अरुण कुमार सिंह)
 16.8.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 89

राँची, दिनांक :— 19/08/19

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) झारखण्ड पो। — हिन्दू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/मेदिनीनगर/गढ़वा/कोडरमा/चतरा/दुमका/देवघर/जामताड़ा/साहेबगंज/पाकुड़/गोड्डा/गिरिडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०— गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, सरकार का स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश।



 (अरुण कुमार सिंह)
 16.8.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 89

राँची, दिनांक :— 19/08/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो।) राँची/अभियंता प्रमुख —I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि।)/उप सचिव (अभि।), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०— गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, सरकार का स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश।



(राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि।)


 (सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
 संयुक्त सचिव


 (अरुण कुमार सिंह)
 16.8.19
 अपर मुख्य सचिव